न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 39/2026

01. ईष्वरसिंह पुत्र भानसिंह जाति निवासी दन्देउ सुल्तान सिंह तहसील राजगढ़ जिला चुरू
02. महावीरसिंह पुत्र भानसिंह जाति निवासी दन्देउ सुल्तान सिंह तहसील राजगढ़ जिला चुरू
03. रामकुमार पुत्रभानसिंह जाति निवासी दन्देउ सुल्तान सिंह तहसील राजगढ़ जिला चुरू
04. वेदपाल पुत्र भानसिंह जाति निवासी दन्देउ सुल्तान सिंह तहसील राजगढ़ जिला चुरू

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :—19.03.26**

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता को तहसील खाजूवाला के चक 5 केएलडी के मु0नं0 131/60 के किला नं0 1 ता 19 की 19.00 बीघा भूमि सन् 1976 में आवंटन हुई थी। आवंटन पत्रावली में पिता का नाम भान सिंह पुत्र छेलूराम जाति जाट निवासी देन्दउ सुलतानसिंह तहसील राजगढ़ के नाम से आवंटन हुई थी। बाद आवंटन से ही प्रार्थीगण के पिता का कब्जा काष्त व वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा काष्त है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को कब्जा काष्त करके परिवार का भरणपोषण कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए पटवारी के पास दिनांक 02.02.26 को गया तो पटवारी ने कहा कि रिकॉर्ड में तुम्हारे पिता का नाम भानसिंह की जगह मानसिंह व साकिन देन्दउ की जगह देन्देड़ हो गया है। इसलिए आप रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाओ। उक्त दिनांक को प्रार्थी को रिकॉर्ड में नाम गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई। तब प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र तहसीलदार कार्यालय खाजूवाला में रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थनापत्र पेष किया। उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थीगण के पिता के आवंटन पत्रावली व समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता का नाम भान सिंह पुत्र छेलूराम जाति जाट साकिन देन्दउ सुलतान सिंह तहसील राजगढ़ अंकित है जबकि वर्तमान जमाबंदी में सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम मानसिंह व साकिन दन्देड़ अंकित हो गया है कि गलत है। प्रार्थीगण मान सिंह की जगह भान सिंह व साकिन दन्देड़ की देन्दउ दुरूस्त करवाना चाहते है। ऐसी गलती को दुरूस्ती करवाने के मात्र प्रार्थीगण मुस्तहक हकदार है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काष्त है व इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाना चाहते है। केवल मात्र प्रार्थीगण के पिता का नाम भान सिंह की जगह मान सिंह अंकित है व साकिन देन्दउ की दन्देड़ अंकित है। जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाना चाहते है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेषानी हो रही है। जिसे दुरूस्त करवाने के मस्तहक हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसील खाजूवाला के चक 5 केएलडी मु0नं0 131/60 किला नं0 1 ता 19 की कुल 4.8051 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के पिता को आवंटन शुद्धा है। इस आवंटन शुद्धा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भान सिंह व साकिन देन्दउ किये जाने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आवंटन आदेष, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत की। आवंटन आदेष में वादी के पिता का नाम भान सिंह व निवासी दन्देउ अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/

शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 5 केएलडी के मु0नं0 131/60 के किला नं0 1 ता 19 की 19.00 बीघा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी के पिता का नाम मान सिंह की जगह भान सिंह व निवासी दन्देड़ की जगह दन्देउ संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच में के प्रार्थी के पिता का नाम व निवासी मान सिंह व दन्देड़ नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का के प्रार्थी के पिता का नाम व निवासी मान सिंह व दन्देड देय बकाया हो तो उसके लिए के प्रार्थी के पिता का नाम व निवासी मान सिंह व दन्देड ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी /वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)